भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

30.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1749 का उत्तर

रेलवे के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग

1749. श्री विजय कुमार हाँसदाक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के पास उपलब्ध कुल भूमि का ब्यौरा क्या है, साथ ही अतिक्रमण की गई भूमि और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) 2014 से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि और स्थानों के उपयोग से रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास अप्रयुक्त रेलवे भूमि को सामाजिक/खेल प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल के पास कुल लगभग 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 0.22% (1078 हेक्टेयर) रेल भूमि अतिक्रमण के अधीन है और लगभग 1% (4930 हेक्टेयर) रेल भूमि व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में है, जिसमें व्यावसायिक उपयोग के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि भी शामिल है।

वर्ष 2014 से व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए भूमि और स्थानों के उपयोग से रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	उत्पन्न राजस्व (करोड़ में)
2014-15	1056.62
2015-16	1410.66
2016-17	1515.97
2017-18	3833.88
2018-19	1438.90
2019-20	2104.44
2020-21	1733.24
2021-22	1745.56
2022-23	2379.66
2023-24	2699.87
2024-25	3129.49

मौजूदा नीतियों के अनुसार, भारतीय रेल अस्पतालों, केंद्रीय विद्यालयों जैसे सामाजिक अवसंरचना के लिए 60 वर्षों तक की अवधि के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति देता है। सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि का अस्थायी लाइसेंस 4 महीने तक की अवधि के लिए दिया जाता है। भारतीय रेल ने कूच बिहार में खेल सुविधाओं के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है।
